उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ

FG3631

पंजीकृत

संदर्भ संख्या..............................सी–1/एन/एन0ओ0सी0–1085/2015 दिनांक 25-6-15

सेवा में,

मै0 ए.सी.ई. (ACE) इन्फ्रासिटी डेवलपर्स प्रा0लि0,
डी–36, चन्दर नगर,
गाजियाबाद।

विषयः पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक शून्य का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा हैः–

(क) **स्थलः**– आवासीय परियोजना मै0 **"ए.सी.ई पार्क"**, प्लाट नं0– एस0सी0–01/बी 08, सेक्टर–150, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

(ख) **उत्पादनः**–प्रस्तावित 45,603.63 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल, बिल्टअप एरिया 1,97,735.89 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय परियोजना का निर्माण।

ग) **मुख्य कच्चे मालः**–बिल्डिंग मैटेरियल।

(घ) **घरेलू उत्प्रवाह की मात्राः**– 333.0 के0एल0डी0

(ड.) **प्रयुक्त ईंधनः**– 380 के0वी0ए0 के 02, 500 के0वी0ए0 के 02 एवं 750 के0वी0ए0 के 02 डी0जी0सेट हेतु

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को

उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।

5— आवासीय परियोजना मै0 **"ए.सी.ई. पार्क"**, जो 45,603.63 वर्गमीटर भूखण्ड क्षेत्रफल में है, के अन्तर्गत बिल्टअप एरिया 1,97,735.89 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय परियेाजना का निर्माण किया जायें। निर्माण कार्य में भूगर्भ जल का प्रयोग नही किया जाये।

6— संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार 333 के0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 400 के0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित किया जाये।

7— संस्था द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी0जी0 सेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।

8— सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एम0एस0डब्ल्यू0 रूल्स 2000 के प्राविधानों के अनुसार किया जायें।

9— म्युनिसिपल अथॉरिटी द्वारा बायोडिग्रेडिबुल वेस्ट के निस्तारण हेतु सुविधा स्थापित न किये जाने की स्थिति में संस्था द्वारा उक्त का निस्तारण परिसर के अन्दर वर्मीकम्पोस्टिंग/बायोकम्पोस्टिंग के द्वारा किया जायें।

10— समस्त प्रस्तावित डी0जी0 सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ—साथ प्रस्तावनुसार चिमनी भी स्थापित की जाये।

11— संस्था प्रस्तावनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

12— संस्था नियमानुसार हरित पट्टिका का विकास करें।

13— यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम,1974 एवं वायु अधिनियम,1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

14— संस्था द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार/स्टेट इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से पर्यावरणीय क्लीयरेन्स की शर्तों का अनुपालन किया जाये।

15— यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पॉच वर्ष या बैंक गारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो मान्य होगी।

16— यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य विभागों तथा मा0 न्यायालयों/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा समय—समय पर पारित आदेशों/स्वीकृतियों के अधीन होगी।

17— उद्योग द्वारा किसी भी परिस्थिति में उत्प्रवाह परिसर के बाहर भूमि पर तथा परिसर के अन्दर रिवोरिंग द्वारा जमीन के अन्दर नही डाला जायेगा।

18— निर्माण से पूर्व केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।

19— परियोजना हेतु सिंचाई विभाग से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाये कि परियोजना स्थल यमुना नदी फ्लड प्लान के अंतर्गत नहीं आता है।

.........3/—

आवासीय परियोजना मै0 ''ए.सी.ई. पार्क'',
प्लाट नं0– एस0सी0–01/बी 08, सेक्टर–150, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

20– पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ओखला बर्ड सेन्चुरी के निकट इको सेन्सटिव जोन के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना में परियोजना स्थल इको सेन्सटिव जोन के अंतर्गत आने की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

21– संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी पत्रांक–एफ–61295/सी–1/एन0ओ0सी0–1085/2015 दिनांक 22.5.15 का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.9.15 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय

(जे0एस0 यादव)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0. एन0ओ0सी0 तद दिनांक

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, (प्रभारी) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त–1